केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र,शहीद जीतसिंह मार्ग
18, Institutional Area ,Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26524580
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमल/Email: kvshindisection@gmail.com

फा. सं. 11086/02/2017-केविसं(मुख्या.)/प्रशा.2//1525-1558

दिनांक :- 22.10.2018

ई-मेल

उपायुक्त/निदेशक
केंद्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय / शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान

विषय :- सीजीएचएस अंशदान की दरों में वृद्धि की जानकारी तथा निश्चित चिकित्सा भत्ते को खत्म करने के संबंध में।

महोदया / महोदय,

7वें सीपीसी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.01.2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 11011/11/2016- सीजीएचएस (पी)/ईएचएस द्वारा सीजीएचएस अंशदान की दरों को परिशोधित कर 01.02.2017 लागू किया गया है तथा इस ज्ञापन को केविसं द्वारा दिनांक 06.09.2018 के अपने पत्र संख्या 110239/51/2018/बजट/केविसं(मुख्या.) के तहत पहले ही परिचालित किया जा चुका है । परिशोधित दरों के अनुसार वार्षिक अंशदान का विवरण इस प्रकार है :-

क्रम संख्या	7वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स में दिए गए पे लेवल	अंशदान (प्रति माह ₹ में)	वार्षिक अंशदान (₹ में)
1	लेवल: 1 से 5	250/-	3000/-
2	लेवल : 6	450/-	5400/-
3	लेवल: 7 से 11	650/-	7800/-
4	लेवल : 12 तथा इससे ऊपर	1000/-	12000/-

अत: केविसं के सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नए सीजीएचएस कार्ड प्राप्त करने हेतु अथवा सीजीएचएस कार्ड के नवीकरण हेतु उपर्युक्त विवरण के अनुसार सीजीएचएस अंशदान सहित अपना आवेदन-फार्म संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं । संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रत्येक लाभार्थी के संबंध में बकाया राशि जोड़कर ₹15368 की समेकित राशि इस कार्यालय को भेजनी होगी । ध्यान रहे कि ऐसे अग्रेषण पत्र में कार्मिकों के अंशदान का विवरण तथा नियोक्ता के अंशदान की जानकारी अनिवार्य रूप से अलग से दर्शाई जाए ।

02. आर. के. पुरम, नई दिल्ली, सीजीएचएस प्राधिकारियों के निदेशानुसार नए सीजीएचएस कार्ड जारी करने अथवा पुराने कार्ड के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदनफार्म के साथ निश्चित चिकित्सा भत्ते को बंद करने के लिए बैंक द्वारा जारी समुचित दस्तावेज़ संलग्न करने अनिवार्य हैं

03. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवेदन-फार्म क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध उनके सेवा अभिलेखों से सत्यापित करके अधोहस्ताक्षरी को भेजे जाएँ तथा जिन अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवा अभिलेख केविसं (मुख्या.) में उपलब्ध हैं उनके आवेदन फार्म सेवा-अभिलेखों से सत्यापित करने के लिए संयुक्त आयुक्त (वित्त) के पास बिना किसी विलंब के भिजवा दिए जाएँ ।

04. कृपया क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि आवेदन फार्मों में दी जाने वाली जानकारी सेवा अभिलेखों में उल्लिखित जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत संबंधित दस्तावेज़ जैसे पता संबंधी प्रमाण, पीपीओ, एलपीसी, पुराना सीजीएचएस कार्ड, सुविधा छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र (सीजीएचएस संबंधी सेवा अनुपलब्ध होने पर, इस आशय का वचनबंध (undertaking) प्रस्तुत करना) इत्यादि भी आवेदनफार्म के साथ संलग्न करने आवश्यक हैं ।

इस प्रकार दिल्ली / एनसीआर में निवास करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों के हर प्रकार से पूर्ण आवेदन फार्म उपर्युक्त क्रमांक सं. 03 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार केविसं(मुख्या.) में अग्रेषित किए जाएँ ।

भवदीय,

22/x/18

(डॉ. शची कान्त)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण :-

1. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केविसं(मुख्या.), नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. सहायक आयुक्त (ईडीपी) को इसे अनुरोध के साथ कि वे इस पत्र को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करवाएँ ।
3. गार्ड फाइल ।